

**एफएसएसआई नागरिक चार्टर**  
 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  
 (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)  
**(2024-2025)**

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
1.	खाद्य वस्तुओं के लिए मानकों का विकास और निर्माण	नए मानक के निर्माण अथवा मौजूदा मानकों में संशोधन हेतु अभ्यावेदन या अनुरोध प्रस्तुत करना	विज्ञान एवं मानक प्रभाग, एफएसएसआई को अभ्यावेदन	प्रस्ताव का वैज्ञानिक आधार	शून्य	नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन, वैज्ञानिक पैनल, वैज्ञानिक समिति और खाद्य प्राधिकरण की मंजूरी के बाद अधिसूचित किए जाएंगे।	1-2 वर्ष	डॉ. अलका राव सलाहकार, विज्ञान एवं मानक प्रभाग एफएसएसआई 011- 23667421 <a href="mailto:advisor@fssai.gov.in">advisor@fssai.gov.in</a>	डॉ. अलका राव सलाहकार, विज्ञान एवं मानक प्रभाग एफएसएसआई 011- 23667421 <a href="mailto:advisor@fssai.gov.in">advisor@fssai.gov.in</a>
2.	खाद्य सुरक्षा और मानक ( गैर-निर्दिष्ट खाद्य और खाद्य सामग्री का अनुमोदन) विनियम, 2017 के अंतर्गत गैर-निर्दिष्ट खाद्य और खाद्य	एफएसएस (एनएसएफ और एफआई) विनियम,	ई-पास (ऑनलाइन पोर्टल) <a href="https://e paas.fssa">https://e paas.fssa</a>	एफएसएस (एनएसएफ और एफआई) विनियम,	50,000/- + जीएसटी	विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार आवेदन की	04-06 माह		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
	सामग्री (एनएसएफ और एफआई) का अनुमोदन	2017 के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पाद/सामग्रियाँ	i.gov.in/	2017 के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के फॉर्म-1 के अनुसार।		स्वीकृति/अस्वीकृति			
3.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के अंतर्गत दावों का अनुमोदन	उन दावों के अलावा, जो परिभाषित हैं और जिनके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत बनाए गए किसी भी विनियम के अंतर्गत मानदंड निर्धारित किए गए हैं।	निर्धारित प्रारूप में ईमेल के माध्यम से एफएसए सएआई को आवेदन	परिशिष्ट 'क' (खाद्य उत्पादों पर दावों की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र) के अनुसार	50,000/- + जीएसटी	विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिश के अनुसार आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति	06-09 माह		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
4.	खाद्य सुरक्षा और मानक (वीगन) विनियम, 2022 के अंतर्गत वीगन लोगो का अनुमोदन	वीगन लोगो अनुमोदन हेतु आवेदन जमा करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज जमा करना	vegan-foods@fssai.gov.in	सामग्री का स्रोत, तथा एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कोलेस्ट्रॉल, लैक्टोज और पशु डीएनए की अनुपस्थिति का विश्लेषण प्रमाण पत्र।	10,000/- + जीएसटी प्रति आवेदन	वीगन लोगो के अनुमोदन की स्वीकृति	04-06 माह		
5.	खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य पूरक, विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक खाद्य) विनियम, 2022 के अंतर्गत विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थों का अनुमोदन	1) 'विशेष चिकित्सीय प्रयोजन हेतु खाद्य' कथन की मंजूरी के लिए- (एफएसएम पी) श्रेणी के	एफएसएमएसआई के विज्ञान और मानक प्रभाग को आवेदन और डॉसियर	वैज्ञानिक, नैदानिक और महामारी विज्ञान संबंधी डेटा का प्रस्तुतीकरण	ला.न.	फर्म द्वारा किए गए दावे के अनुसार, चिकित्सीय स्थितियों के प्रबंधन हेतु एफएसएमपी उत्पाद की	09-12 माह		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		तहत "_____ के आहार प्रबंधन के लिए" (रिक्त स्थान में उस विशिष्ट बीमारी, विकार या चिकित्सा स्थिति का उल्लेख किया जाएगा जिसके लिए उत्पाद है) 2) एफएसएसए आई के एस एंड एस प्रभाग में आवेदन जमा करना.	प्रस्तुत करना			संरचना और उपयुक्तता के लिए अनुमोदन, जो इस कथन के रूप में व्यक्त है: "_____ के आहार-संबंधी प्रबंधन हेतु" (रिक्त स्थान में उस विशिष्ट रोग, विकार या चिकित्सीय स्थिति का नाम भरा जाएगा, जिसके लिए यह उत्पाद अभिप्रेत है)।			
6.	<b>आयात प्रभाग</b> आयातित खाद्य खेपों के लिए	माल की खेप को	एफएसए सएआई	एफएसएस (आयात)	1. दृश्य निरीक्षण	आयातित खाद्य खेप के	2-10 दिन	श्री मानवेश कुमार आईआरएस	

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
	अधिकृत अधिकारियों द्वारा एनओसी/एनसीआर जारी किया जाना	एफएसएस अधिनियम, 2006, उसके नियमों और उसके तहत बनाए गए एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 का पालन करना अनिवार्य है। एनओसी/एनसीआर एक तीन-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसमें दस्तावेजों की जाँच, प्रत्यक्ष निरीक्षण,	एफआई सीएस पोर्टल ( <a href="https://fics.fssai.gov.in/">https://fics.fssai.gov.in/</a> )	विनियम, के अनुसार 2017 ( <a href="https://fics.fssai.gov.in/">https://fics.fssai.gov.in/</a> )	शुल्क - रू. 2000/- 2. नमूना परीक्षण शुल्क - एफएसएसए आई द्वारा खाद्य पदार्थों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिसूचित अनुसार	लिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा एनओसी/एनसीआर जारी करना	निदेशक <a href="mailto:dir-imports@fssai.gov.in">dir-imports@fssai.gov.in</a> 9769898250		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		नमूना लेना और प्रयोगशाला परीक्षण शामिल हैं।							
7.	अधिकृत अधिकारियों द्वारा आयातित खाद्य खेप के लिए अनंतिम एनओसी जारी करना	निर्दिष्ट आयातित खाद्य पदार्थों के लिए, एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों की जाँच, दृश्य निरीक्षण और सैंपलिंग के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक अनंतिम एनओसी	एफएसएसएआई एफआईसीएस पोर्टल ( <a href="https://fics.fssai.gov.in/">https://fics.fssai.gov.in/</a> )	एफएसएस (आयात) विनियम, के अनुसार 2017 ( <a href="https://fics.fssai.gov.in/">https://fics.fssai.gov.in/</a> )		अधिकृत अधिकारियों द्वारा आयातित खाद्य खेप के लिए अनंतिम एनओसी जारी करना	2-3 दिन		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		जारी की गई है।							
8.	समीक्षा प्रक्रिया	1) कोई भी खाद्य आयातक, जो अधिकृत अधिकारी के निम्नलिखित एक या अधिक आदेशों से असंतुष्ट हो, 15 दिवसों के भीतर समीक्षा अधिकारी (क्षेत्रीय निदेशक) के पास समीक्षा आवेदन दायर कर सकता है -	1) क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (गाजिया बाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) का क्षेत्राधिकार	एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 के अनुसार	1) समीक्षा आवेदन शुल्क - ₹. 2,000	1) समीक्षा आदेश जारी	2-3 सप्ताह		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		(क) एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 6 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन न करने के कारण आयातित खाद्य पदार्थों की निकासी को अस्वीकार करना; (ख) कोई भी ऐसा आदेश जिसमें खाद्य आयातक को खाद्य पदार्थों की लेबलिंग में सुधार करने का							

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		निर्देश दिया गया हो; और (ग) खाद्य विश्लेषक से गैर-अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी किया गया अस्वीकृति आदेश। 2) खाद्य आयातक, समीक्षा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील, समीक्षा आदेश प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर,	2) सीईओ, एफएसए सएआई, नई दिल्ली		2) द्वितीय अपील आवेदन शुल्क - 5000 रुपये	2) अपील आदेश जारी किया गया।			

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष दायर कर सकता है।							
9.	<b>गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग</b> खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना	कार्यालय के नोटिस ( <a href="https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2024/06/665db22cd424b1A%20Order%20Dated%2003.06.2024.pdf">https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2024/06/665db22cd424b1A%20Order%20Dated%2003.06.2024.pdf</a> ) दिनांक 03/06/2024 के अनुसार	आवेदन प्रपत्र को एफएसएस (प्रयोगशाला की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 ( <a href="https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Gazette_Notification_Labs_16_11_2018.pdf">https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Gazette_Notification_Labs_16_11_2018.pdf</a> ) में दिए गए फॉर्म-ए (खाद्य प्रयोगशाला की अधिसूचना के आवेदन-पत्र) में	1,000/- रुपये की आवेदन प्रोसेसिंग फीस एफएसएसए आई ईपैमैट पोर्टल, <a href="https://epa.y.fssai.gov.in/">https://epa.y.fssai.gov.in/</a> के माध्यम से 'फीस श्रेणी - नमूना	खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राजपत्र अधिसूचना	01 से 09 माह	सुश्री स्वीटी बेहरा निदेशक <a href="mailto:sweety.behra@fssai.gov.in">sweety.behra@fssai.gov.in</a> 011-23667205  InFoIneT 2.0 portal: <a href="https://infolnet.fssai.gov.in">https://infolnet.fssai.gov.in</a>	डॉ. सत्येन कुमार पांडा (सलाहकार, गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग) <a href="mailto:advisor.qa@fssai.gov.in">advisor.qa@fssai.gov.in</a>  011-23217833	

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		एफएसएसए आई, प्रयोगशालाओं से एफएसएसए आई मान्यता और अधिसूचना के लिए केवल तभी नए प्रस्ताव स्वीकार करेगा, जब प्रयोगशाला ने एफएसएसए आई-एनएबीएल एकीकृत मूल्यांकन के तहत प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन) प्राप्त कर	आवश्यक समर्थित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। यदि प्रयोगशाला सभी आवश्यक दस्तावेज (स्कैन/पीडीएफ फॉर्मेट) पूरे कर रही है, तो सही तरीके से भरा हुआ फॉर्म ए और एफएसएसएआई ई-पेमेंट पोर्टल की फीस रसीद ( मात्र एक हज़ार) के साथ सॉफ्ट प्रति के ज़रिए वाया ई-मेल	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	परीक्षण प्रयोगशाला मान्यता आवेदन शुल्क के तहत जमा करनी होगी, और जेनरेटेड इनवॉइस को साथ में संलग्न करना होगा। जिस खाद्य प्रयोगशाला को अधिसूचित किया जाना है, उसे समझौते पर हस्ताक्षर करते समय एक लाख रुपये की				

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		लिया हो।			ब्याज-मुक्त प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करनी होगी: बशर्ते कि ऐसी कोई भी प्रतिभूति जमा राशि उस प्रयोगशाला द्वारा देय नहीं होगी, जो किसी वैधानिक निकाय या सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्तपोषित संस्थान (जिसमें				

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
					अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शामिल हैं) के स्वामित्व, नियंत्रण, वित्तपोषण या संचालन में हो।				
10.	खाद्य विश्लेषक परीक्षा और खाद्य विश्लेषक अधिसूचित करना	1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत, खाद्य सुरक्षा और	<a href="https://fssai.formsubmit.in/itxlogin">https://fssai.formsubmit.in/itxlogin</a>	उम्मीदवारों को विज्ञापन में निर्धारित	₹ 2000.00 (पंजीकरण और आवेदन जमा करने के लिए ₹320, और	खाद्य विश्लेषक प्रमाण-पत्र जारी करना और खाद्य विश्लेषक की राजपत्र	01 वर्ष		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		मानक (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 के नियम 2.1.4 के उप-नियम (ii) के अनुसार, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2. अनिवाग्र शैक्षणिक		पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। • अनुभव की गणना सनातक की तिथि से लेकर आवेदन की अंतिम तारीख तक की जाएगी। इस अवधि से पहले या बाद में, और शैक्षणिक कार्यक्रमों (जैसे,	परीक्षा शुल्क के रूप में ₹1680/-। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाना चाहिए और यह वापस नहीं किया जाएगा।)	अधिसूचना			

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		योग्यता: उम्मीदवार के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्मजीव विज्ञान, डेयरी रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण, डेयरी		स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल प्रोग्राम) के दौरान प्राप्त अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।					

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए; अथवा वह 'इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया)' द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से, 'खाद्य विश्लेषक' (Food Analysts)</p>							

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>अनुभाग में इस संस्थान का एसोसिएट होना चाहिए।</p> <p>3. अनिवार्य अनुभव:</p> <p>उम्मीदवार के पास ऊपर बताई गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के बाद, किसी भी संस्थान/अनुसंधान संस्थान/अनुसंधान प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों के विश्लेषण का</p>							

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्य कनिष्ठ विश्लेषक, खाद्य पदार्थों के विश्लेषण में 3 साल का अनिवार्य अनुभव हासिल करने के बाद, केवल व्यावहारिक परीक्षा में ही शामिल हो सकते हैं। कनिष्ठ विश्लेषकों को 3 वर्ष का अनुभव हासिल करने के बाद</p>							

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>व्यावहारिक परीक्षा में शामिल होने का अवसर केवल एक बार ही दिया जाएगा।</p> <p>व्यावहारिक परीक्षा पास करने पर, कनिष्ठ विश्लेषक 'खाद्य विश्लेषक' घोषित किए जाने के योग्य हो जाएगा। यह अवसर योग्य जेएई को जीवन में केवल एक बार ही उपलब्ध है।</p> <p>4. आयु</p>							

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>सीमा: - एफएई परीक्षा में बैठने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।</p> <p>5. आरक्षण: - इसमें किसी भी रूप में कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि यह रोज़गार के लिए नहीं है।</p> <p>6. जो उम्मीदवार निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा</p>							

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		(सीबीटी) उत्तीर्ण करते हैं और पात्रता मानदंडों में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, केवल उन्हीं को व्यावहारिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।							
11.	प्राशिक्षण प्रभाग खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओज) और विनियामक कर्मचारियों (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/भारतीय रेलवे के एफएसओज/सीएफएसओज/डीओज/एओज और डीजीएचएस, एमओएचएफडब्ल्यू के अंतर्गत एपीएचओज/पीएचओज) का प्राशिक्षण एफएसएसएआई के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी प्राशिक्षण	<b>एफबीओज के लिए -</b> खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे	<b>एफबीओज के लिए -</b> एफओएस टीएसी पोर्टल <a href="https://fost.ac.fssai.gov.in">https://fost.ac.fssai.gov.in</a>	<b>एफबीओज के लिए -</b> आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पात्रता/अनुभव साबित	<b>एफबीओज के लिए -</b> लागू शुल्क के लिए <a href="https://fost.ac.fssai.gov.in/doc/pdf_3.pdf">https://fost.ac.fssai.gov.in/doc/pdf_3.pdf</a> पर पधारें।	<b>एफबीओज के लिए -</b> 2 वर्षों के लिए वैध खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र जारी करना	<b>एफबीओज के लिए -</b> प्राशिक्षण की तारीख के 7 दिनों के भीतर	श्री अंकेश्वर मिश्रा संयुक्त निदेशक <a href="mailto:mishra.ankeshwar@fsai.gov.in">mishra.ankeshwar@fsai.gov.in</a> 7388798888	

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>दिए गए लिंक में संलग्न है:  <a href="https://fost.ac.fssai.gov.in/doc/pdf/2.pdf">https://fost.ac.fssai.gov.in/doc/pdf/2.pdf</a></p> <p><b>एफएसएसए आई कर्मचारियों के लिए -</b>            स्टाफ़ प्रशिक्षण नीति 2023 के अनुसार आवश्यकता- आधारित प्रशिक्षण, इंडक्शन प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन प्रशिक्षण और मध्य-</p>	<p>/ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।</p> <p><b>एफएसएसए आई अधिकारियों के लिए -</b>            आवश्यकता- आधारित प्रशिक्षण डिवीजन/ आरओ/एनएफएल से आवश्यकताएं ईमेल के ज़रिए</p>	<p>करने वाले दस्तावेज़ ला.न.</p> <p>नियामक अधिकारियों के लिए - जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीएफएस कार्यालय द्वारा अपेक्षित है</p>	<p>स्टाफ़ ट्रेनिंग यूनिट द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के लिए कोई शुल्क नहीं है। हालाँकि, अन्य संस्थानों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।</p> <p>नियामक अधिकारियों के लिए: लागू नहीं।</p>	<p>लागू नहीं</p> <p>नियामक अधिकारियों के लिए - प्राप्त प्रमाण पत्र</p>	<p>लागू नहीं</p> <p>एफएसओ के लिए आईटीपी - 40 दिन (14 दिन क्लासरूम + 26 दिन ओजेटी) डीओएस के लिए आईटीपी - 05 दिन</p>		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>करियर उन्नति प्रशिक्षण के लिए पात्रता। अन्य संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग - संस्थानों द्वारा निर्धारित पात्रता।</p> <p><b>नियामक अधिकारी-</b> जैसा कि एफएसएस अधिनियम, नियमों/विनियमों/आदेशों में उल्लेखित है।</p>	<p>आवश्यकताएं एकत्र की जाती हैं। आवासीय प्रशिक्षण = एनपीसी, आईएसटी एम, एफओआ ईआर आदि में आवासीय प्रशिक्षणों के लिए, नामांकन training @fssai.gov.in पर ईमेल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और</p>						

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
			आयोजक के निर्धारित प्रारूप/गूगल फार्मों के अनुसार जमा किए जाते हैं। नियमित अधिकारियों के लिए: कार्यालय सीएफएस , राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जरिए						
12.	मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/एनएफएल आदि के लिए,	टीपी के पैनल में	एफओएस टीएसी	दस्तावेजों की सूची	ईओआई में बताए	2 वर्षों के लिए वैध	ईओआई में		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
	जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग, छोटे रिक्रेशर कोर्स, योग्यता-आधारित एमडीपीज प्रशिक्षण आदि। प्रशिक्षण भागीदार/प्रशिक्षकों/एनआरपीज का पैनल में शामिल करना।	शामिल होने के लिए- 2 साल का प्रशिक्षण अनुभव। अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं- <a href="https://fost.ac.fssai.gov.in/notification">https://fost.ac.fssai.gov.in/notification</a>	पोर्टल पर प्रकाशित ईओआई दस्तावेज में उपलब्ध निर्धारित लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।	नीचे दिए गए लिंक पर संलग्न है। - <a href="https://fo.stac.fssai.gov.in/notification">https://fo.stac.fssai.gov.in/notification</a>	अनुसार लागू	एफओएसटी एसी प्रशिक्षण भागीदार प्रमाण पत्र जारी करना	उल्लिखित निर्धारित समय-सीमा के भीतर		
13.	सूचना का अधिकार (आरटीआई)	केवल भारत के नागरिक ही आरटीआई आवेदन दायर करने के पात्र हैं। कोई भी नागरिक जानकारी	कोई भी व्यक्ति जिस लोक प्राधिकारी से जानकारी चाहता है, उसके संबंधित	आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन दाखिल करने के लिए, आम तौर पर आपको	आरटीआई आवेदन दाखिल करने की मानक फीस ₹10 है। यह फीस नकद (उचित रसीद के	आरटीआई अधिनियम के तहत भौतिक और ऑनलाइन, दोनों ही माध्यमों से प्राप्त आवेदनों/अपी	(i) आरटीआई आवेदन: सीपीआई ओ / लोक प्राधिकरणों को आरटीआई	श्री अंकेश्वर मिश्रा संयुक्त निदेशक <a href="mailto:mishra.ankeshwar@fssai.gov.in">mishra.ankeshwar@fssai.gov.in</a> 011-23667342	

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		प्राप्त करने के लिए नामित पीआईओ से संपर्क कर सकता है।	लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को ऑनलाइन या ऑफलाइन लिखकर आवेदन दे सकता है। कोई भी आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन भी फाइल कर सकता	इन चीज़ों की ज़रूरत होती है: एक लिखित आवेदन, आवेदन शुल्क, और संभवतः आपकी पहचान और पते का प्रमाण—खास तौर पर ऑनलाइन आवेदनों के लिए या यदि संबंधित लोक प्राधिकारी	बदले), डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक, या इंडियन पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए दी जा सकती है; यह फीस लोक प्राधिकरण के वरिष्ठ लेखा अधिकारी के नाम पर देय होती है। हालाँकि, जो आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आते हैं, उन्हें यह फीस	लों को संबंधित सीपीआईओ/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को 5 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाता है।	ई अधिनियम, 2005 (संशोधित रूप में) के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आरटीआई आवेदनों का निपटारा करना होगा।  (ii) आरटीआई प्रथम अपील:		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
			है।	द्वारा इसकी मांग की जाती है। आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को संबोधित होना चाहिए और उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आप किस जानकारी की मांग	देने से छूट प्राप्त है, लेकिन उन्हें अपने बीपीएल दर्जे का प्रमाण, जैसे कि संबंधित सरकारी प्राधिकरण से जारी प्रमाण पत्र, देना होगा,		प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अधिनियम, 2005 (संशोधित रूप में) की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार, अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, और असाधारण परिस्थिति यों में		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
				कर रहे हैं।			अपील प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा।		
14.	<b>सीपीग्रामस</b> सीपीग्रामस, यानी केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, भारत का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और उनकी प्रगति को निगरानी करने की सुविधा देता है। यह शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को बढ़ाता है, साथ ही डेटा-आधारित जानकारी के माध्यम से नागरिक-केंद्रित	केवल भारत के नागरिक ही शिकायत दर्ज करने के पात्र हैं।	सीपीग्रामस के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए, आवेदकों को सीपीग्रामस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और	सीपीग्रामस (केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए, आवेदक	कोई आवेदन शुल्क नहीं है।	(i) सीपीग्रामस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निवारण में लगा समय  (ii) शिकायतों की निगरानी (वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा)	21 दिन		

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
	शासन और बेहतर सेवा वितरण को बढ़ावा देता है।		फिर दिए गए ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायत जमा करनी होगी। यह पोर्टल 24/7 उपलब्ध है और भारत सरकार तथा राज्यों के सभी मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा हुआ है।	को आम तौर पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शिकायत का विवरण और सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।					
15.	विनियमन प्रभाग							श्री अनिल मेहता,	

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
								निदेशक <a href="mailto:anilmehta@fssai.gov.in">anilmehta@fssai.gov.in</a> 011-23210538	
16.	<b>नियामक अनुपालन</b> एफएसएसएआई लाइसेंस	केंद्रीय या राज्य लाइसेंस के लिए पात्रता मानदंड, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 1	यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, और आवेदक को 'खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली' पर आवेदन करना	व्यवसाय के प्रकार के अनुसार दस्तावेजों की संशोधित सूची एफएसएसएआई के 19 मार्च 2021 के आदेश में निर्दिष्ट है। <a href="https://fo">https://fo</a>	लागू शुल्क, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 3 में निर्धारित किया गया है। इसका	जारी	60 दिन	श्री राकेश कुमार, निदेशक <a href="mailto:rakeshkr.yadav@fssai.gov.in">rakeshkr.yadav@fssai.gov.in</a> 011-23231679 <b>केंद्रीय लाइसेंस:</b> निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय Link: <a href="https://fssai.gov.in/cms/regionaldirectors.php">https://fssai.gov.in/cms/regionaldirectors.php</a> <b>राज्य लाइसेंस:</b> खाद्य	<b>केंद्रीय लाइसेंस:</b> केंद्रीय लाइसेंस/आवेदन से संबंधित एस्केलेशन मैट्रिक्स के लिए एफएसएसएआई आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2023: <a href="https://fssai.gov.in/upload/advisories/2023/01/63be60bc6188420230111114427675.pdf">https://fssai.gov.in/upload/advisories/2023/01/63be60bc6188420230111114427675.pdf</a> <b>राज्य लाइसेंस:</b> राज्य

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>और एफएसएसए आई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए बाद के निर्देशों के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।</p> <p>लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, विनियम 2.1.2 (3) और 2.1.2 (4) में निर्दिष्ट संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को, अनुसूची</p>	<p>होगा। (एफओएससीओएस) यूआरएल: <a href="https://fosc.os.fssai.gov.in/">https://fosc.os.fssai.gov.in/</a></p>	<p><a href="https://scos.fssai.gov.in/assetsets/docs/DocumentListMarch.pdf">scos.fssai.gov.in/assetsets/docs/DocumentListMarch.pdf</a></p>	<p>विवरण एफओएससीओएस के होमपेज <a href="https://fosc.os.fssai.gov.in/assetsets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf">https://fosc.os.fssai.gov.in/assetsets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf</a> पर उपलब्ध है</p>			<p>सुरक्षा आयुक्त लिंक: <a href="https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php">https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php</a></p>	<p>लाइसेंस से संबंधित एस्केलेशन मैट्रिक्स: <a href="https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php">https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php</a></p>

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>2 के फॉर्म बी में किया जाएगा; और इसके साथ अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में एक स्व-सत्यापित घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाएगा, साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 3 में निर्धारित</p>							

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी	
		लागू शुल्क भी जमा करना होगा।  पात्रता मानदंड लिंकः <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLates.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLates.pdf</a>								
17.	एफएसएसआई पंजीकरण	यदि निरीक्षण आवश्यक नहीं है।	हर छोटा खाद्य व्यवसाय संचालक, विनियम की अनुसूची 2 के तहत फॉर्म ए में पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करके,	यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और आवेदक को फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम	व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार दस्तावेजों की संशोधित सूची एफएसएसआई के 19 मार्च 2021 के	लागू शुल्क, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 3	जारी	07 दिन	खाद्य सुरक्षा आयुक्त लिंकः <a href="https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php">https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php</a> खाद्य सुरक्षा आयुक्त लिंकः <a href="https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php">https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php</a>	पंजीकरण से संबंधित एस्केलेशन मैट्रिक्सः <a href="https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php">https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php</a>

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>पंजीकरण प्राधिकारी के पास अपना पंजीकरण करवाएगा; इसके साथ ही उसे खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 3 में निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा।</p> <p><b>पात्रता मानदंड:</b> लिंक: <a href="https://foscos.fssai.gov">https://foscos.fssai.gov</a></p>	<p>(एफओएससीओएस) यूआरएल पर अप्लाई करना होगा: <a href="https://foscos.fssai.gov.in/">https://foscos.fssai.gov.in/</a></p>	<p>आदेश में निर्दिष्ट है। <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/DocumentListMarch.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/DocumentListMarch.pdf</a></p>	<p>में निर्धारित किया गया है। विवरण एफओएससीओएस के होमपेज पर उपलब्ध हैं। यूआरएल: <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf</a></p>				

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<a href="#">.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf</a>							
18.	यदि निरीक्षण आवश्यक हो।	हर छोटा खाद्य व्यवसाय संचालक, विनियम की अनुसूची 2 के तहत फॉर्म ए में पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करके, पंजीकरण प्राधिकारी के पास अपना पंजीकरण करवाएगा; इसके साथ ही उसे खाद्य सुरक्षा और	यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और आवेदक को फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम (एफओएससीओएस) यूआरएल पर आवेदन करना होगा:	व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार दस्तावेजों की संशोधित सूची एफएसएसआई के 19 मार्च 2021 के आदेश में निर्दिष्ट है। <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/DocumentListMarch.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/DocumentListMarch.pdf</a>	लागू शुल्क, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 3 में निर्धारित किया गया है। विवरण एफओएससीओएस के होमपेज पर उपलब्ध हैं।: <a href="https://foscos.fssai.gov.in">https://foscos.fssai.gov.in</a>	जारी	07 दिन		पंजीकरण से संबंधित एस्केलेशन मैट्रिक्स: <a href="https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php">https://www.fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php</a>

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 3 में निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। <b>पात्रता मानदंड:</b> लिंक: <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf</a>	<a href="https://foscos.fssai.gov.in/">https://foscos.fssai.gov.in/</a>		<a href="https://os.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf">os.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf</a>				
19.	नए लाइसेंस/पंजीकरण का तत्काल (तत्काल) जारी होना	28 जून 2024 से, डिजिटल	यह प्रोसेस पूरी तरह	व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार	लागू शुल्क, खाद्य सुरक्षा और मानक	जारी	तत्काल	सुश्री लिली प्रसाद, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	सुश्री लिली प्रसाद, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
	<p>पात्र प्रकृति के व्यवसाय (केओबी) की सूची</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आयातक</li> <li>2. व्यापारी-निर्यातक</li> <li>3. थोक विक्रेता</li> <li>4. वितरक</li> <li>5. खुदरा विक्रेता</li> <li>6. परिवहनकर्ता</li> <li>7. बिना वायुमंडलीय नियंत्रक वाला भंडारण + कोल्ड स्टोरेज</li> <li>8. खाद्य वेंडिंग एजेंसियां</li> <li>9. सैक्स/चाय की दुकानों के छोटे खुदरा विक्रेता</li> <li>10. हॉकर ( घूमने वाला/मोबाइल खाद्य विक्रेता)</li> <li>11. प्रत्यक्ष विक्रेता</li> </ol>	<p>सत्यापन के माध्यम से विशिष्ट श्रेणियों के लिए लाइसेंस/पंजीकरण तत्काल जारी करने की सुविधा शुरू कर दी गई है।</p> <p>पात्र व्यवसाय के प्रकार (केओबी) की सूची</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आयातक</li> <li>2. मर्चेट-एक्सपोर्टर</li> <li>3. थोक विक्रेता</li> <li>4. वितरक</li> <li>5. रिटेलर</li> <li>6. ट्रांसपोर्टर</li> </ol>	<p>से ऑनलाइन है और आवेदक को फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम (एफओएससीओएस) पर अप्लाई करना होगा</p> <p><a href="https://foscos.fssai.gov.in/">https://foscos.fssai.gov.in/</a></p>	<p>दस्तावेजों की संशोधित सूची</p> <p>एफएसएस एआई के 19 मार्च 2021 के आदेश <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/DocumentListMarch.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/DocumentListMarch.pdf</a> और एफएसएस एआई आदेश दिनांक 01 जुलाई 2024 <a href="https://fs">https://fs</a></p>	<p>(खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 3 में निर्धारित किए गए हैं।</p> <p>विवरण एफओएससीओएस के होमपेज पर उपलब्ध हैं। <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf</a></p>			<p><a href="mailto:cito@fssai.gov.in">cito@fssai.gov.in</a></p>	<p><a href="mailto:cito@fssai.gov.in">cito@fssai.gov.in</a></p>

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<p>7. एटमोस्फेरिक कंट्रोलर + कोल्ड के बिना स्टोरेज</p> <p>8. फूड वेंडिंग एजेंसियां</p> <p>9. सैक्स/चाय की दुकानों के छोटे रिटेलर</p> <p>10. हॉकर (घूमने-फिरने वाला / मोबाइल फूड वेंडर)</p> <p>11. प्रत्यक्ष विक्रेता एफएसएसए आई आदेश दिनांक 11 सितंबर और</p>		<p><a href="https://sai.gov.in/upload/advisories/2024/07/668531ea91cb7Ease%20of%20doing%20Business-%20Launch%20of%20provision%20for%20instant_Tatkal_issuance%20of%20lic%20and%20reg.pdf">sai.gov.in/upload/advisories/2024/07/668531ea91cb7Ease%20of%20doing%20Business-%20Launch%20of%20provision%20for%20instant_Tatkal_issuance%20of%20lic%20and%20reg.pdf</a></p> <p>में निर्दिष्ट है।</p>					

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		01 जुलाई 2024 <a href="https://fssai.gov.in/upload/advisories/2024/09/66e1775de531cFSSAI%20Order_Nationwide%20Extension%20of%20Instant_Tatkal%20Provision.pdf">https://fssai.gov.in/upload/advisories/2024/09/66e1775de531cFSSAI%20Order_Nationwide%20Extension%20of%20Instant_Tatkal%20Provision.pdf</a>							
20.	लाइसेंस/पंजीकरण का तत्काल नवीनीकरण, इस शर्त के अधीन है कि लाइसेंस/पंजीकरण के मौजूदा विवरणों में कोई परिवर्तन न हो।	किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन, 'खाद्य सुरक्षा और मानक	यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और खाद्य व्यवसाय	व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार दस्तावेजों की संशोधित सूची एफएसएस	लागू शुल्क, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण)	जारी	तत्काल	सुश्री लिली प्रसाद, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी <a href="mailto:cito@fssai.gov.in">cito@fssai.gov.in</a>	सुश्री लिली प्रसाद, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी <a href="mailto:cito@fssai.gov.in">cito@fssai.gov.in</a>

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		(खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन) विनियम, 2011' की अनुसूची 2 के फॉर्म ए या बी में किया जाएगा। 12 जनवरी 2023 से, लाइसेंस और पंजीकरण का नवीनीकरण संबंधित अधिकारी की जांच के बिना तुरंत हो जाता है। एफएसएसए आई आदेश	संचालक को 'खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली' (एफओएससीओएस) पर आवेदन करना होगा। यूआरएल: <a href="https://foscos.fssai.gov.in/">https://foscos.fssai.gov.in/</a>	एआई के 19 मार्च 2021 के आदेश में निर्दिष्ट है। <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/DocumentListMarch.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/DocumentListMarch.pdf</a>	विनियम, 2011 की अनुसूची 3 में निर्धारित किए गए हैं। इसका विवरण एफओएससीओएस के होमपेज पर उपलब्ध है। यूआरएल: <a href="https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibilityLatest.pdf</a>				

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		दिनांक 08 नवंबर 2023 और 11 नवंबर 2023 <a href="https://fssa.i.gov.in/upload/advisories/2023/11/654cca7d1465fFSSAI%20Order_Revising%20the%20option%20for%20selecting%20the%20validity%20period.pdf">https://fssa.i.gov.in/upload/advisories/2023/11/654cca7d1465fFSSAI%20Order_Revising%20the%20option%20for%20selecting%20the%20validity%20period.pdf</a>							
21.	वनस्पति तेल और प्रसंस्करण इकाइयों ( केओबी) तथा सामान्य विनिर्माण ( केओबी) के अंतर्गत किसी भी मानकीकृत खाद्य उत्पाद को जोड़ने के लिए लाइसेंस में	खाद्य व्यवसाय संचालक, आवश्यक परिवर्तन करने के	यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और	व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार दस्तावेजों की संशोधित	लाइसेंस के उन्नयन के मामले में, वार्षिक शुल्क की	जारी	तत्काल	सुश्री लिली प्रसाद, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी <a href="mailto:cito@fssai.gov.in">cito@fssai.gov.in</a>	सुश्री लिली प्रसाद, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी <a href="mailto:cito@fssai.gov.in">cito@fssai.gov.in</a>

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
	तत्काल संशोधन-बशर्ते कि इसमें उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणियां 01, 08, 09, 13 और 99 शामिल न हों।	लिए, लागू शुल्क के साथ अपना मूल लाइसेंस लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास जमा करेगा। 23 दिसंबर 2022 से, संशोधन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू है, जिसमें संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं होती।	खाद्य व्यवसाय संचालक को 'खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली' (एफओएससीओएस) पर आवेदन करना होगा। यूआरएल: <a href="https://foscos.fssai.gov.in/">https://foscos.fssai.gov.in/</a>	सूची एफएसएसआई के 19 मार्च 2021 के आदेश में निर्दिष्ट है। <a href="https://foscos.fssai.gov.in/sets/docs/DocumentListMarch.pdf">https://foscos.fssai.gov.in/sets/docs/DocumentListMarch.pdf</a>	अंतर राशि के साथ 1000 रुपये का लागू शुल्क। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2020 को लागू करने के संबंध में एफएसएसआई का दिनांक 27 मार्च 2020 का निर्देश। <a href="https://fssai.gov.in/upload/">https://fssai.gov.in/upload/</a>				

क्रम सं.	सेवाओं/संव्यवहार का नाम	पात्रता मानदंड और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया	आवेदन कहाँ और कैसे करें	अपेक्षित दस्तावेज़ों की सूची	लागू शुल्क, यदि कोई है	सफलता के मापदंड	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा	जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम और संपर्क विवरण	अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्राधिकारी
		<a href="https://fssa.i.gov.in/upload/advisories/2022/12/63ad6fef02453Order_High_Risk_Food_29_12_2022_compressed.pdf">https://fssa.i.gov.in/upload/advisories/2022/12/63ad6fef02453Order_High_Risk_Food_29_12_2022_compressed.pdf</a>			<a href="#">advisories/2020/03/5e7f45376a88aDirection_Operational_licence_Regulation_27_03_2020.pdf</a>				